रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022025-261104
CG-DL-E-17022025-261104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946
No. 103]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 137(अ).— केंद्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017, (जिसे इसमें पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, उपनियम (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) ""प्रशासक भांडागार सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है कोई इकाई या व्यक्ति या भांडागारपाल जिसे प्राधिकरण द्वारा नियम 35 के अधीन, माल का नियंत्रण और प्रबंधन करने, या नियंत्रण लेने और परिसमापन करने के लिए नियुक्त किया गया है;"

3. उक्त नियमों में, नियम 16 में, उपनियम (2) में, खंड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उपर्युक्त अपेक्षा नियम 35 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त प्रशासक भांडागार सेवा प्रदाता पर लागू नहीं होगी।"

4. उक्त नियमों में, नियम 35 में, उपनियम (3) में, खंड (ख) में, "बाह्य व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "प्रशासक भांडागार सेवा प्रदाता" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 13/2024-Stg-II]

अनिता कर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 165(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 311(अ) तारीख 04 जून, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2025

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 0f 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely: -

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) "Administrator Warehouse Service Provider" means any entity or person or warehouseman appointed by the Authority to take control of and manage, or take control and liquidate goods, under rule 35; "

3. In the said rules, in rule 16, in sub rule (2), after clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the above requirement shall not be applicable to Administrator Warehouse Service Provider appointed by the Authority under Rule 35; "

4. In the said rules, in rule 35, in sub rule (3), in clause (b), for the word, "external person" the word "AdministratorWarehouse Service Provider" shall be substituted".

[F. No.13/2024-Stg-II]

ANITA KARN. Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 165(E), dated the 23rd February, 2017 and was last amended vide notification number G.S.R. 311(E), dated 4th June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.17 23:08:55 +05'30'